

अनुलग्नक-31

दिनांक: 6 जुलाई, 2026

सेवा में,
प्रबंधक,
लिस्टिंग विभाग,
द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाजा, सी-1, ब्लॉक जी,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051
स्क्रिप कोड: आरईसी लिमिटेड

महोदय/ महोदया,

विषय: सेबी मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/मुख्य/डीडीएचएस/ डीडीएचएस -पीओडी-1/पी/सीआईआर/2025/0000000103 दिनांक 11 जुलाई, 2025 ('सेबी मास्टर परिपत्र') के अनुसार प्रारूप योजना के साथ प्रस्तुत की जाने वाली अनुपालन रिपोर्ट।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत आरईसी लिमिटेड ("स्थानांतरणकर्ता कंपनी/कंपनी") और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("हस्तांतरिती कंपनी") तथा उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य विलय की प्रारूप योजना, किसी भी रूप में प्रतिभूति कानूनों के प्रावधानों या स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की आवश्यकताओं का उल्लंघन, अधिरोहण अथवा उन्हें सीमित नहीं करती है, तथा यह योजना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("एलओडीआर") के लागू प्रावधानों और समय-समय पर यथा-संशोधित सेबी मास्टर परिपत्र एवं उसके किसी भी संशोधन के अनुपालन में है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र.सं.	विवरण	अनुपालन किया गया (हाँ/नहीं)	टिप्पणियां
1.	सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 का विनियम 11 - प्रतिभूति कानूनों का अनुपालन	हाँ	
2.	मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करना	हाँ	
3.	निष्पक्षता राय प्रस्तुत करना	हाँ	
4.	स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को दस्तावेजों की प्रस्तुत किया जाना	हाँ	
5.	व्यवस्था की योजना में प्रकटीकरण	हाँ	प्रारूप योजना की अनुसूची-ख देखें
6.	ई-वोटिंग के माध्यम से एनसीडी / एनसीआरपीएस धारकों की स्वीकृति का प्रावधान	अनुपालन किया जाना है	प्रारूप योजना के खंड 25.1(vi) को देखें
7.	शिकायत निवारण / शिकायतों/टिप्पणियों पर रिपोर्ट	अनुपालन किया जाना है	समय-सीमा के अनुसार जमा किया जाएगा।

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता
लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी
प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

8.	गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं से जुड़ी व्यवस्था की योजनाओं के लिए शर्तें	लागू नहीं	
9.	लेखांकन मानकों के अनुपालन में भुगतान/पुनर्भुगतान क्षमता के संबंध में लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र	लागू नहीं	संबंधित प्रमाणपत्र स्थानांतरी कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा जारी कर दिया गया है।

ह/-

(दिनेश गर्ग)
कंपनी सचिव

ह/-

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

प्रमाणित किया जाता है कि स्थानांतरणकर्ता कंपनी और स्थानांतरी कंपनी को शामिल करने वाली व्यवस्था की प्रारूप योजना में उपबंधित लेनदेन/लेखांकन उपचार, कंपनी पर लागू सभी लेखांकन मानकों के अनुपालन में हैं।

ह/-

(राजेश कुमार)
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-

(जितेन्द्र श्रीवास्तव)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

दिनांक: 6 जुलाई, 2026